

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती सोनिया आशु, स्कूल शिक्षा विभाग  
 2- वर्तमान धारित पद ओ.एस.डी.  
 3- वर्तमान वेतन 16760/- अगली वेतन वृद्धि की तारीख जुलाई 2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हों तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
×	×		×	निरंक	निरंक	×	×

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\* \* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

\* \* \* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

**टिप्पणी:-** मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम श्रीमती सोनिया आशु  
 पद ओ.एस.डी.

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 20

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो Suman Singh
- 2- वर्तमान धारित पद सहायक अभियंता
- 3- वर्तमान वेतन 93,000 - 34,800 अगली वेतन वृद्धि की तारीख JULY 2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>फिरोज</u>	<u>घर</u>	<u>भूमि</u>	<u>1000</u>	<u>ना</u>	<u>घर</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \* \* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।  
 \* \* \* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

**टिप्पणी:-** मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उस धारित समस्त अचल सम्पत्ति वं ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]  
 नाम Suman Singh  
 पद सहायक अभियंता

जा.क/5/05/12  
 09/04/10

सहायक अभियंता - 1  
 9-4-10

**प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 20-1991**

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रमाशंकर मिश्रा (विराजप्रतिष्ठान श्रेणी)
- 2- वर्तमान धारित पद सहायक तकनीशियन
- 3- वर्तमान वेतन ₹ 3,000 - 3,480 - 3,200 अगली वेतन वृद्धि की तारीख 11/7/2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
- निरंक -	- निरंक -	- निरंक -	- निरंक -	- निरंक -	- निरंक -	- निरंक -	- निरंक -

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\* \* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

\* \* \* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

**टिप्पणी:-** मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसका धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर..... (रमाशंकर मिश्रा)

नाम..... रमाशंकर मिश्रा

पद..... सहायक तकनीशियन  
(सहायक तकनीशियन संकायनायक)

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष ~~२०१०~~ १९९१

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. उमाकान्त उपाध्याय म.प्र. शास. सेवा
- 2- वर्तमान धारित पद. सहायक तकनीशियन
- 3- वर्तमान वेतन. 13410 + 3200 GP. अगली वेतन वृद्धि की तारीख जुलाई २०१०


उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उस किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
— निरंक —	— निरंक —	— निरंक —	— निरंक —	— निरंक —	— निरंक —	— निरंक —	— निरंक —

\* जहां लागू न हों काट दीजिए।

\* \* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

\* \* \* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

**टिप्पणी:-** मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति व ब्यौरे दें।

इस्ताक्षर. 

नाम. उमाकान्त उपाध्याय

पद. सहायक

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 20 1988

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो... नीलकेठ ठगे शा. म.प. शास. सेवा
- 2- वर्तमान धारित पद... स्नायक लक्ष्मी शिखर
- 3- वर्तमान वेतन... 16750/- अगली वेतन वृद्धि की तारीख... जुलाई 2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, ** *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए।
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

**टिप्पणी:-** मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर... *Neelke*

नाम... नीलकेठ ठगे

पद... स्नायक लक्ष्मी शिखर

// फार्म //

## अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010

- 1- अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम पता उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
  - 2- वर्तमान धारित पद
  - 3- वर्तमान वेतन रूपये
- अगली वेतन वृद्धि की तारीख

एस.एन.सोनी  
जूनियर तकनीशियन  
17920+4200  
जुलाई 2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि (आवासीय) प्लाट एवं कृषि भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल (नीलबड) नाथूबडखेडा	गृह	प्लाट	तीन लाख	श्री मीना सोनी (पत्नि)	महिला गृह निर्माण समिति आर्शिवाद नगर नीलबड भोपाल वर्ष 2009	निरंक	निरंक
भोपाल सुदामानगर कोटरा भोपाल	भवन	आवासीय	पाँच लाख	श्री मीना सोनी (पत्नि)	पैत्रिक सम्पत्ति	निरंक	निरंक

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्या बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

हस्ताक्षर

नाम एस.एन.सोनी

पद जूनियर तकनीशियन

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो.....डॉ. राजेश्वरी प्रसाद तिवारी उच्च श्रेणी शिक्षक, स्कूल शिक्षा विभाग
- 2- वर्तमान धारित पद.....प्रभारी सहायक संचालक
- 3- वर्तमान वेतन.....22250/- अगली वेतन वृद्धि की तारीख.....1.7.2010

उस जिले, उप जंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक-विससत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
रीवा जिला तहसील - लोथर ग्राम - सहलोखवा	निरंक	कृषिभूमि	-	पुत्र, आशोष तिवारी	खरीद - दिनांक - 24.7.2002 विक्रेता - जंराम पिता जगन्नाथ मौतीलाल पिता - जगन्नाथ पत्नी - पिता जगन्नाथ ग्राम - सहलोखवा, तहसील लोथर, जिला - रीवा - खसरा नं. 256 रकबा - 049 डि.	5000/-	

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\* \* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

\* \* \* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

**टिप्पणी:-** मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी निरोधक श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा कर करेगा कि वह अपने और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....राजेश्वरी  
नाम.....डॉ. आर.पी. तिवारी  
पद.....प्रभारी सहायक संचालक, लोथर

**प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010**

- 1-- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आर.एस. मिश्रा (अराज्यपत्रित सिविल सेवा)
- 2-- वर्तमान धारित पद सहायक तकनीशियन
- 3-- वर्तमान वेतन 9300-34800+3200 (16650/-) अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1/7/2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
शहर भोपाल, समस्त माला, गोविन्दपुरा दिनात्रिया, जनपद पञ्चायत फंदा, तह-हुजूर-भोपाल (अशोक गार्डन जनसहायिता)	भवन  अ.र.गड (40x60 वर्गफिट)	भूमि	15 लाख लगभग  12 लाख लगभग	स्वयं  श्रीमती जगदनी मिश्रा पति	SAR-404/69 फंडर की आर्गेस्टिव सो. द्वारा आर्जित, शा.सेवा के पूर्व से सहायक की समय-समय पर किलेज शुल्क रु. 48000/- का भुगतान कर 26/5/97 को भूखण्ड का पंजीयन कराकर बैंक-PNB/ ICICI एवं Bank of Maharashtra से 4.5% ब्याज का अर्जन कर भवन निर्माण किया गया। श्री एम.एन. शर्मा से ऊपरी कर का रु. 11/2/2002 (कूपन नं. 96000/2) की रकम से अचल एवं चलकर (हद धर) ले भुगतान किया गया।	12000/- प्रधान किलेज से	

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\* \* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के सदर में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

\* \* \* इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

**टिप्पणी:-** मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर..... श्रीमती शर्मा

नाम..... आर.एस. मिश्रा

पद..... सहायक तकनीशियन

लोक शिक्षण संस्थान लखनऊ  
म.प्र. भोपाल



**प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010**

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... योगेश्वर सिंह
- 2- वर्तमान धारित पद..... कनिष्ठ तकनीशियन
- 3- वर्तमान वेतन..... 16670 अगली वेतन वृद्धि की तारीख..... 11/7/2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
तह-हज़ूर जि. भोपाल वर्धमान ग्रीन पार्क अशीम गार्डन कोटाक (म.प्र.)	शकन		15 लाख लगभग	स्वयं रखें	वर्धमान कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. से खरीद किया गया - 5 फरवरी वर्ष 2007 श. को. बैंक लाइव खाती से ऋण लेकर	निर्देय -	

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\* \* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

\* \* \* इसमें अल्पवर्गीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।

**टिप्पणी:-** मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर..... YS Singh

नाम..... योगेश्वर सिंह

पद..... कनिष्ठ तकनीशियन  
कोटाक शा. संचालकलय  
2025, भोपाल

**प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010**

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... गोविन्द शंकर दीक्षित (विद्यार्जनपत्रित सिविल इंजीनियर)
- 2- वर्तमान धारित पद..... सहायक डिप्टी (पद विरह) डिप्टी इंजीनियर
- 3- वर्तमान वेतन..... 18520 (34800 + 3600) अगली वेतन वृद्धि की तारीख..... 1.7.2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
(1) शहर-ओपाल तह. इमरु जवाहर चौक मो.पद.	फ्लैट BWS	-	85 हजार लगभग	श्री श्री सीमा दीक्षित पति	डा. सि. ज. लोड प्रवर्धन से दि- 25/8/86 को रु. 3012196 को प्राप्त किया गया।	12000/- प्रधान किराये से	-
(2) दामिशा कुंज- ग्राम बजाडी को लार ओपाल क.प.		35X60 2100 वर्ग फीट भरवाड	10 लाख लगभग	पति स्व स्वयं	दामिशा ग्राम निधि समिति का कलकत्ता उपखण्ड की आलोक कुमार ले रु. 273 लाख (या) लक्ष्मण रु. 273 लाख से अर्जित से रु. 273 लाख किया गया।	-	-
(3) पेल्लेस आर्चेड III ग्राम दासखंडा कोलार रोड- ओ.क.क.	कुपलम अवेन B-109		20 लाख लगभग	— " —	आर्चेड पेल्लेस हाउस की बात बलाकन का किया गया, जो- पुनर्कृत श्री बालकृष्ण 13 लाख में कर्म किया गया। HDFC BANK से कर्ज लेकर रु. 10 लाख से सहयोग + वचन राशि है।	स्वयं निवेश	

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

\* \* \* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

**टिप्पणी:-** मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आवरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर..... गोविन्द शंकर दीक्षित  
नाम..... गोविन्द शंकर दीक्षित  
पद..... सहायक डिप्टी (पद विरह) डिप्टी इंजीनियर  
लो.क. शिक्षण सं. च. ल. ग. ल. य. (क.प.)

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... नीलकंठ डोगे
- 2- वर्तमान धारित पद..... सहायक तकनीशियन
- 3- वर्तमान वेतन..... 16750 अगली वेतन वृद्धि की तारीख..... जुलाई-2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल	15x50 फिट पर बना हुआ गकान		लगभग 6-00000	(स्वयं)	पगार न्य डर उसमे निमिगि कार्य किया गया (बांकी बचत पर कोन के साथ) जून 2010	नहीं	

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए।
- \* \* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।
- \* \* \* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

**टिप्पणी:-** मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर..... *N. K. Doge*

नाम..... नीलकंठ डोगे

पद..... सहायक तकनीशियन



प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... उमाकान्त उपाध्याय सहा. तक.
- 2- वर्तमान धारित पद..... सहायक तकनीशियन
- 3- वर्तमान वेतन..... 16610(13410+3200) अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1 July 2010

उस जिले उप समाग, ता.दुरां तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभि.
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
ग्राम- <u>खोखेडा</u> 1. तह. <u>पुर</u> जिला <u>मोपाल</u>	भवन S.MLG-5		4.00 लाख लगभग	स्वयं	बैंक लोन + स्वयं की बचत	NIL	
2. शहीव भण्डर अयोध्या कालपास रोड <u>मोपाल</u>	भवन MLG-B-1		15.00 लाख लगभग	स्वयं + पत्नि	बैंक लोन + स्वयं की बचत	12,000/- वार्षिक संभार किया	

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए।
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

**टिप्पणी:-** मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तत्त्वों को उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर..... [Signature]  
 नाम..... उमाकान्त उपाध्याय  
 पद..... सहायक तकनीशियन